समाहरणालय बाँका
(राजस्व शाखा)

सुहर्ष भगत, भा0प्र0से0
जिला पदाधिकारी, बाँका

पत्रांक–556/रा0,

सेवा में,

अध्यक्ष,
बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद,
बिहार, पटना।

बाँका, दिनांक–05/03/2022

विषय :– बिहार विधान सभा में दिनांक–07.03.2022 को ध्यानाकर्षण सूचना से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :– संयुक्त सचिव–सह–अपर विधि परामर्शी, बिहार, पटना का पत्रांक–1255/जे0 दिनांक– 05. 03.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में बिहार विधान सभा द्वारा मांगी गई सूचना से संबंधित कंडिकावार उत्तर सामग्री निम्नवत् है :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर सामग्री
(1)	माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील संख्या–4850/2021 (ARISING OUT OF SLP (CIVIL) NO.-33675 OF 2017) के अनुसार कंडिका–27 में देश के सभी राज्यों के मठ/मंदिरों की परिसम्पत्तियों को किसी सेवादार को बेचने का अधिकार नहीं है, सेवादार हकदार नहीं है। सेवादार का नाम सिर्फ राजस्व विभाग के रिमार्क कॉलम में ही रह सकता है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन प्रतिवेदन।	स्वीकारात्मक। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अपील वाद सं0–4850/2021 (ARISING OUT OF SLP (CIVIL) NO.-33675 OF 2017) के कंडिका 27 के अनुपालन में बांका जिलान्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी, बांका की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन कार्यालय आदेश ज्ञापांक–376/रा0, दिनांक–12.02.2022 से किया गया है।
(2)	अपने अधीनस्थ क्षेत्र के अधीन मठ/मंदिर, जो निबंधित/अनिबंधित है, का कुल संख्या प्रमंडलवार/जिलावार खाता, खेसरा, रकवा (एकड़) में उपलब्ध कराया जाय। साथ ही दरभंगा प्रमंडल में 5533 एकड़, मूंगेर प्रमंडल में 3373 एकड़, तिरहुत प्रमंडल में 5800 एकड़ भूमि से संबंधित वांछित सूचना के संबंध में संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त समीक्षा कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराये।	बांका जिलान्तर्गत 14 निबंधित एवं 78 गैर पंजीकृत मठ/मंदिर न्यास चिन्हित किया गया है, जिनका क्षेत्रफल क्रमशः 71.19 एकड़ एवं 332.41 एकड़ यानी कुल–403.59 एकड़ की जमीन चिन्हित की गई है।
(3)	अपने अधीनस्थ धार्मिक न्यास के अन्तर्गत चिन्हित/सर्वेक्षित मठ/मंदिर की भूमि की पैमाईश कराकर पिलरिंग हेतु वांछित राशि से संबंधित आवंटन का मांग प्रतिवेदन।	प्रश्नगत संदर्भ में मठ/मंदिरों की जमीनों की पैमाइश बांका जिला में करायी गई है। पिलरिंग कार्य के लिए तत्काल 25.00 (पच्चीस लाख) रू0 आवंटन की मांग की गई है। साथ ही पत्रांक–46/जि0यो0,दिनांक–20.01.2022 से मंदिर चाहरदिवारी योजना के तहत ज्येष्ठगौरनाथ शिव मंदिर (अमरपुर) एवं धनकुण्ड शिवनाथ मंदिर (धोरैया) के परिसर की चाहरदिवारी निर्माण हेतु मो0–34.49 (चौतीस लाख उनचास हजार) रू0 प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में संयुक्त सचिव, गृह विभाग, (विशेष शाखा) बिहार, पटना से अधियाचना की गई है।
(4)	अपने अधीनस्थ धार्मिक न्यास के अन्तर्गत मठ/मंदिर की वैसी जमीन जिसपर अवैध कब्जा है, उसकी पूरी सूची एवं उसे मुक्त कराने एवं बिक्री पर रोक लगाने की क्या कार्रवाई की गयी इससे संबंधित कार्रवाई प्रतिवेदन।	बांका जिलान्तर्गत अवैध मठ/मंदिर की जमीन के कब्जा की मुक्ति हेतु कार्रवाई की गई है। लक्ष्मीनारायण ठाकुरवाड़ी, बांका की कुल जमीन 2.75 एकड़ को मुक्त कराया गया है तथा मठ/मंदिर की अवैध बिक्री की रोक लगाने हेतु सभी संबंधितों को निदेश दिया जा चुका है।

विश्वासभाजन

5/03/22

जिला पदाधिकारी,
बाँका